



**पूर्वोत्तर-रेलवे
कार्यालय आदेश**

रेलवे बोर्ड के पत्र सं० 2021/AW-1/Genl./Gatishakti dated 27.07.22 एवं महाप्रबन्धक/कार्मिक के पत्र सं० File No: NER-HQOPERS(POLI)/2/2023-O/SPO/HQNER/(computer no-85861) दिनांक 24.02.23 के अनुपालन में अधिसूचना सं० ई/111/प्रगति/गतिशक्ति यूनिट/हायरिंग/23 दिनांक 25.04.23 के आलोक में लखनऊ मण्डल/पूउरे गतिशक्ति यूनिट में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः इंगेज के लिए, दिनांक 18.05.23 को सम्पन्न समीक्षा बैठक तथा सक्षम अधिकारी के अनुमादेन उपरान्त प्राप्त परिणाम सं० ई/111/प्रगति/गतिशक्ति यूनिट/हायरिंग/23 दिनांक 19.05.23 द्वारा सुयोग्य पाये गये, को पुनः नियोजन हेतु उनके नाम के सामने गतिशक्ति यूनिट में रिइंगेज निम्न प्रकार किया जाता है:-

कस०	भू०पू० कर्मचारी का नाम व पिता का नाम (सर्वश्री)	भू०पू० पद एवं कार्यस्थल	सेवानिवृत्त तिथि	65 वर्ष पूर्ण करने की तिथि
01	मुनीब पुत्र स्व० राम बेलास	सीसई/वि०/वाता०, सीसई/वि०/वाता० गोरखपुर	31.01.22	05.01.27
02	रमन जी श्रीवास्तव पुत्र स्व० कान्ति कुमार श्रीवास्तव	एसएसओ/लेखा, मरेप्र/लेखा, लखनऊ	31.03.23	01.04.28
03	सुशील कुमार गुप्ता पुत्र स्व० लालता प्रसाद गुप्ता	मुकार्याधी/का०ए मरेप्र/लखनऊ	31.07.22	31.07.27

(कुल 03 नाम मात्र)

इस पर मरेप्र/महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

कर्मचारियों के परिश्रमिक का निर्धारण बाद में किया जायेगा। संबंधित अपने अधीन रिइंगेज्ड भू०पू० कर्मचारी से कार्यालय आदेश में लिखित शर्तें एवं नियमों का एक शपथ पत्र लेकर उन्हें ज्वाइन कराये जिसकी एक प्रति इस कार्यालय को भेजना भी सुनिश्चित करें।

रिइंगेज्ड कर्मचारी निम्नलिखित शर्तों से शासित होंगे:-

1. यह योजना अग्रिम आदेश तक वैध है
2. कर्मचारी की रिइंगेज अधिकांश आयु 65 वर्ष की होगी यह रिइंगेज पूर्णतया अस्थायी होगी।
3. रेलवे भर्ती बोर्ड रेलवे भर्ती सेल से चयनित कर्मचारी के उपलब्ध होने पर या आवश्यकता ना होने पर भी रिइंगेज्ड कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है।
4. कर्मचारियों को कार्य दिवस की उपस्थिति के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
5. कर्मचारियों की सेवा का प्रति वर्ष 1 जनवरी को मूल्यांकन किया जाएगा।
6. रिइंगेज कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो प्रशासन द्वारा उन्हें 07 दिनों का नोटिस देकर सेवा से हटाया जा सकता है।
7. रिइंगेज कर्मचारी आरबीई 118/2019 में दिए गए निर्देशों के अनुसार आकस्मिक अवकाश दी जाएगी।
8. रिइंगेज कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान रेलवे बोर्ड के पत्रांक E(NG)II/2007/RC-4/CORE/I date 24-10-2019 एवं महाप्रबन्धक/का/गोरखपुर के पत्र सं० का/227/2/रिइंगेज्ड/04 दिनांक 25.11.19 द्वारा प्रसारित किया जाएगा एवं दिए गए निर्देशों के अनुसार रिइंगेज कर्मचारियों के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
9. कर्मचारी रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश से शासित होंगे।
10. संबंधित अधिकारी रिइंगेज कर्मचारी की मासिक लिखित रिपोर्ट सीपीएम/गतिशक्ति महोदय को देंगे।
11. संबंधित अधिकारी रिइंगेज्ड कर्मचारी का प्रतिदिन गहन निगरानी रखेंगे।
12. रिइंगेज कर्मचारी से जिस पद पर कार्य कराया जाएगा उस पद के एचओईआर नियम लागू होंगे।
13. रिइंगेज कर्मचारी का रिइंगेज का सेवाकाल किसी भी प्रकार की सेवा में जोड़ा नहीं जाएगा।
14. उपरोक्त नियमों एवं शर्तों के आलावा रेलवे बोर्ड से समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों के अधीन होगा।

(एस.के. श्रीवास्तव)

सकाधि-प्रथम

कृते मरेप्र/कार्मिक/लजं.

दिनांक 22.05.23

सं० ई/111/प्रगति/गतिशक्ति यूनिट/हायरिंग/2023

प्रतिलिपि-सूचनार्थ प्रेषित :-

1. मरेप्र महोदय को सादर सूचनार्थ
2. सीपीएम./गतिशक्ति/इकाई/लखनऊ मण्डल ।
3. अमरेप्र/इन्फ्रा, ओपी/लजं०
4. सम्बन्धित उम्मीदवार
5. नोटिस बोर्ड/पूउरे लखनऊ मण्डल की बेसाइड प्रति।

(एस.के. श्रीवास्तव)
कृते मरेप्र/कार्मिक/लजं